जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 22.07.2021

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित, 1 किलो 200 ग्राम यूरिया बरामदः-

आज दिनांक 22.07.2021 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मेजपाल पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम महेन्द्रगढ मजरा टोडा थाना झिंझाना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लाए "जानलेवा हमले" के अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार कराया बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.05.2021 को अरूण कुमार पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम रंगाना थाना झिंझाना जनपद शामली के माता-पिता को सुमित, सागर, सुरेन्द्र द्वारा जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर लाठी डंडों व तमंचे से जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 26.06.2021 को सुमित पुत्र सुरेन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुरेन्द्र उपरोक्त द्वारा दिनांक 13.07.2021 माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जेल चला गया था, जिसके संबंध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा न्यायालय से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए प्रत्यावेदन किया गया था। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा झिंझाना पुलिस को आज दिनांक 22.07.2021 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया, जिसको झिंझाना पुलिस अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त की निशादेही पर 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कराया गया है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-

1- घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लाए "जंगल सिकन्दरपुर में चकमाली लुधियाना निवासी राकेश की हत्या" के मुख्य हत्याभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा बरामदः-</u>

विदित हो कि दिनांक 26.06.2021 को थाना झिंझाना पुलिस को सिकन्दरपुर के जंगल में एक व्यक्ति अज्ञात का शव पड़ा हुआ बरामद हुआ था, जिसकी राकेश पुत्र सरदार मलकीत सिंह निवासी ग्राम चकमाली थाना समराला जनपद लुधियाना पंजाब के रूप में काफी प्रयास उपरान्त पहचान हुई थी। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई लखवीर सिंह द्वारा थाने पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 06.07.21 को मृतक की पत्नी गुरप्रीत उर्फ गीता व दिनांक 08.07.21 को गोल्डी उर्फ अंशू को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

इस घटना के मुख्य हत्याभियुक्त सौरव दिनांक 12.07.2021 माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जेल चला गया था, जिसके संबंध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा न्यायालय से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी के लिए प्रत्यावेदन किया गया। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा झिंझाना पुलिस को आज दिनांक 22.07.2021 को अभियुक्त सौरव का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया,

प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना द्वारा हत्याभियुक्त सौरव को जिलाकारागार मु0नगर से पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाने पर घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके उपरान्त उसके द्वारा हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा बरामद कराया गया है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रहे है।

<u>अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-</u>

1- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा।